

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2015

पत्र संख्या-1/एल1-10-11/2010 गृ0आ0 /श्री अजीत कुमार राय, भा०पु०से० (2001), पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2014 से 26.12.2014 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपभोग किये गए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(कौशलेन्द्र पाठक)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-11/2010 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2015
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-11/2010 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2015
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लै० एवं ह०), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-11/2010 गृ0आ0 4792/पटना, दिनांक ७ जुलाई, 2015
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री अजीत कुमार राय, भा०पु०से० (2001), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ले
9/7/2015

सरकार के अपर सचिव।